हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
27 July 2025

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से सरकारी नौकरी

हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, 20 अगस्त तक राज्य मेडिकल बोर्ड में परीक्षण कराने के आदेश

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिलासपुर

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का अनिवार्य भौतिक परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, जो अब तक जांच से बचते आ रहे थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो भी कर्मचारी जांच नहीं कराएंगे, उन्हें यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड के समक्ष परीक्षण क्यों नहीं कराया। कोर्ट ने चेताया है कि यदि तय समयसीमा के भीतर जांच नहीं कराई जाती, तो संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिभूमि ने इस मामले में लगातार खबर प्रकाशित की है।

अब यह होगा

- सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच करानी होगी
- जांच न कराने की स्थिति में कार्रवाई तय मानी जाएगी
- सभी विभागीय प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा

लोरमी ब्लाक के 7 गांवों में सबसे अधिक फर्जीवाड़ा: मुंगेली जिले के लोरमी ब्लाक के सारधा, लोरमी, सुकली, झाफल, फुलझर, विचारपुर, बोड़तरा गांव के लोगों के बने सभी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों पर सवाल उठ रहे हैं। बात सामने आई है कि अकेले 53 लोग कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। वहीं तीन लोग कृषि शिक्षक के पद पर काबिज हैं।

सभी विभागों को जांच कराने पत्र जारी

ध्यान रहे कि मुंगेली जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अतिरिक्त कलेक्टर की ओर से सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर प्रमाण पत्रों की जांच करने और प्रतिवेदन देने कहा गया है। सभी ने श्रवण बाधित के फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त की थी। सबसे अधिक शिक्षा विभाग में इस तरह के लोग नौकरी कर रहे हैं। कलेक्टर ने इन कर्मचारियों की लिस्ट भी जारी की है।